• बीआरकेजीबी–सम्पति ऋण योजना

1	**उद्देश्य**	गैर विधिक कार्यो के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्तिगत/व्यावसायिक कार्यो के लिए – जैसे चिकित्सा, विवाह, निवेश, बच्चो की शैक्षणिक फीस अथवा अन्य कोई व्यक्तिगत/व्यावसायिक आकस्मिक आवश्यकता/खर्चो की पूर्ति हेतु वित्त सुविधा उपलब्ध कराना।
2	**पात्रता**	वेतनभोगी कर्मचारियों, व्यवसायियों/स्वनियोजित व्यक्तियों, व्यावसायिक फर्मो (एकल स्वामित्व, साझेदारी), कम्पनी आदि
3	**ऋण सीमा**	i) शहरी क्षेत्र हेतु अधिकतम ₹ 200.00 लाख ii) अर्द्धशहरी क्षेत्र हेतु अधिकतम ₹ 100.00 लाख iii) ग्रामीण क्षेत्रों हेतु अधिकतम ₹ 20.00 लाख iv) वेतन भोगी कर्मचारी की दशा मे सकल मासिक आय का छत्तीस (36) गुना v) स्वनियोजित व्यक्तियों, व्यावसायिक फर्मो (एकल स्वामित्व, साझेदारी) कम्पनी के मामले में 3 वर्षो की औसत आय का 5 गुना (आयकर विवरणी में दर्शायी गयी कुल आय में सें आयकर की राशि घटाने के बाद) (*स्वीकृति योग्य सीमा के निर्धारण हेतु पति/पत्नी, माता, पिता, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू एवं सगे भाई की वार्षिक आय को भी जोड़ा जा सकता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्तियों को सहऋणी बनाया जाये एवं ये विगत 3 वर्षो से नियमित आयकर निर्धारिती हो) vi) प्रतिभूति हेतु प्रस्तावित अचल सम्पति के DSV का 50% (उक्त बिन्दु (i,ii,iii,iv,v,vi) में से जो कम हों)
4	**मार्जिन**	साम्यिक बन्धक हेतु प्रस्तावित सम्पति के Distress sale value का 50%
5	**प्रतिभूति**	i. अचल सम्पत्ति का साम्यिक बन्धक ii. प्रतिष्ठित दो व्यक्तियों की व्यक्तिगत जमानत
6	**ब्याज दर**	समय – समय पर बैंक द्वारा जारी परिपत्रानुसार लागू होगी।
7	**सेवा प्रभार**	समय – समय पर बैंक द्वारा जारी परिपत्रानुसार प्रभावी।
8	**पुनर्भुगतान अवधि**	आवधिक ऋण हेतु 60 से 84 मासिक किश्ते